2025/280
ucms

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सुनीलकुमार चौहान, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 19/2023
जीसीएमएस सं0 2023/47

राजविन्द्रकौर बनाम **नरवैलसिंह आदि**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी

–:: **निर्णय** ::– दिनांक : – 17.09.2025

उक्त अनवानी प्रकरण में प्रार्थीगण/प्रतिवादी 1 व 2 की ओर से वकील ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वादपत्र में आज की तारीख पेशी मुकर्रर है। वादिया द्वारा उक्त वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् पेश किया है तथा वादिया द्वारा उक्त वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि के लिए एक वादपत्र माननीय सिविल न्यायाधीश घड़साना के समक्ष बाबत् दस्तावेज उपहार पत्र पंजीयन दिनांक 13.12.2022 को आरम्भ से प्रभावहीन, प्रभावशून्य घोषित किये जाने का पेश कर रखा है जो अनवानी प्रकरण राजविन्द्रकौर बनाम निरवैलसिंह आदि के नाम से जैरकार है जिसमें आगामी तारीख पेशी 04.07.2024 है। उक्त वादपत्र के प्रार्थना पत्र में माननीय सिविल न्यायाधीश द्वारा मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश हुए है लेकिन वादिया द्वारा उक्त वादपत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् पेश किया है जो कि विधि द्वारा वर्जित है। यह कि दिवानी प्रावधानों के तहत यदि किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित है तो दूसरे वाद की कार्यवाही को रोका जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर विदन है कि उक्त प्रकरण के वादपत्र की कार्यवाही माननीय सिविल न्यायाधीश घड़साना के अनवानी प्रकरण राजविन्द्रकौर बनाम निरवैलसिंह आदि के निस्तारण तक रोके जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति वकील वादी को दी गई। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद सं0 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद सं0 2 वादपत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् पेश करने के तथ्य स्वीकार है एवं वादिया द्वारा सिविल न्यायालय घड़साना के समक्ष कथित दस्तावेज उपहार पत्र दिनांक 13.12.2022 को प्रभावहीन, प्रभावशून्य घोषित किये जाने के तथ्य भी

स्वीकार है लेकिन वादिया द्वारा पेश यह वादपत्र किस तरह से विधि द्वारा वर्जित है ऐसे कोई कथन प्रतिवादी द्वारा इस मद में हीं किये गये हैं। केवलमात्र प्रतिवादी के द्वारा यह कह देना कि वादिया का उपरोक्त अनवानी वाद विधि द्वारा वर्जित है। मात्र इतना कह देने से वादिया का वादपत्र विधि द्वारा वर्जित नहीं हो जाता। प्रार्थना पत्र की मद सं0 3 गलत बयानी होने के कारण स्वीकार नहीं अस्वीकार है। वादिया यहां यह स्पष्ट करना चाहती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के तहत पक्षकारों के मध्य समान विवाधक, विषय हो एवं समान ही अनुतोष चाहा गया हो एवं समान पक्षकार हो तब ही दूसरे वाद की कार्यवाही रोक दिये जाने के प्रावधान किये गये हैं लेकिन धारा 10 वादिया के वादपत्र पर लागू नहीं होती है चूंकि राजस्व न्यायालय में पेश किये गये वादिया के उपरोक्त वादपत्र में वादिया द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है तथा सिविल न्यायालय में पेश वादपत्र में वादिया द्वारा उपहार पत्र दिनांक 13.12.2022 को प्रभावहीन, प्रभावशून्य घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है इस प्रकार वादिया द्वारा पेश किये गये दोनों वाद पत्रों में विवाधक विषय प्रत्यक्षतः और सारतः एक समान नहीं है और ना ही दोनों वादपत्रों में समान अनुतोष चाहा गया है इसलिए धारा 10 सीपीसी के प्रावधान वादिया के उपरोक्त वादपत्र पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए वादिया का वादपत्र चलने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी नरवेलसिंह का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रा0 पत्र स्वीकार करते हुए वादिया के वादपत्र की कार्यवाही को माानीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन वादपत्र के निर्णय तक इसी स्तर पर स्थगित करने का निवेदन किया गया। वकील वादिया/अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि धारा 10 सीपीसी के प्रावधान वादिया के प्रकरण में लागू नहीं होते है क्योंकि वादिया का सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय में अनुतोष एक समान नहीं है एवं ना ही विवाधक एक समान हैं। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि वादिया द्वारा इस राजस्व न्यायालय में अपने खातेदारी अधिकारों घोषण करवाने हेतु वादपत्र पेश किया गया है तथा माननीय सिविल न्यायालय में उपहार पत्र दिनांक 13.12.2022 के पंजीयन को प्रभावशून्य

एवं प्रभावहीन घोषित करवाने के लिए प्रस्तुत किया हुआ है। इन दोनों प्रकरणों में विवाधक समान नहीं है और ना ही अनुतोष एक समान है। वादिया द्वारा सिविल न्यायालय में चाहा गया अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता तथा वादिया द्वारा राजस्व न्यायालय में चाहा गया अनुतोष माननीय सिविल न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार दोनों प्रकरण एक समान प्रकृति से नहीं होने के कारण धारा 10 सीपीसी के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण/प्रतिवावादी सं0 1 व 2 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीलकुमार चौहान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना